बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
आदेश

पटना, दिनांक–.....

का0आ0सं0– 8बी/आरोप-अरा0नि0-05/2024 -...../–

श्री संजय कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रत्ति सेवानिवृत द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर के पदस्थापन अवधि में दस्तावेज सं0–15821 दिनांक–20.12.1995 (बिक्रेता–श्री नभैय सिंह, पिता–स्व0 ईन्दर सिंह क्रेता–बासुदेव प्रसाद सिंह पिता–भुजंगी सिंह) को अभिलेखागार, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर में संधारित पुस्तक वहीं सं0–80 वर्ष–1985 (तैयारी वर्ष–1988) पृष्ठ सं0–39–42 में संचित रिकार्ड से गायब कर साजिश के तहत जालसाजी एवं कुटरचित दस्तावेज तैयार कर जाली (फर्जी) दस्तावेज सं0–15821 (बिक्रेता–सरदार सरणजीत सिंह और सरदार प्रतिपाल सिंह पिता–स्व0 सरदार बलवंत सिंह क्रेता–श्री भोला सिंह, पिता–स्व0 छेदी सिंह) को स्थापित किये जाने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। श्री कुमार का यह कृत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल पाया गया है।

2. आरोपी कर्मी श्री कुमार के विरूद्ध उक्त मामले में समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, भागलपुर द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में श्री कुमार, के विरूद्ध विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया एवं विभागीय पत्रांक–4651 दिनांक–13.11.2024 द्वारा उनसे जिला निबंधन कार्यालय भागलपुर के पदस्थापन अवधि में लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने के कारण गठित आरोप पत्र के आलोक में स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

3. उक्त के अनुपालन में आरोपी कर्मी श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जो प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोपों की वृहत जाँच हेतु विभागीय आदेश सं0–2522 दिनांक–16.05.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें सहायक निबंधन महानिरीक्षक, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला अवर निबंधक, भागलपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हें जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

4. उक्त के अनुपालन में संचालन पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधन महानिरीक्षक, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें अंकित किया गया कि दस्तावेज संख्या–15821 दिनांक–20.12.1985 में प्रमाणित फर्जीवाड़ा अभिलेखागार में संरक्षित अभिलेखो में कब हुआ है, इस आशय की स्पष्ट तिथि ज्ञात नहीं हो पायी है। डिजिटाईजेशन के संबंध में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह माना जा सकता है कि उक्त फर्जी दस्तावेज का अधिष्ठापन माह सितम्बर 2022 से 2023 तक की अवधि में प्रश्नगत जिल्द का डिजिटाईजेशन के उपरांत किया गया है। श्री कुमार के तत्कालीन अभिलखपाल के कार्य अवधि में किये जा रहे कार्यो के संबंध में पाये गये तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि श्री कुमार द्वारा अपने कार्य अवधि में अभिलेखो का पर्यवेक्षण दृढ़तापूर्वक नहीं किया जाता था, जिससे उन्हें ससमय संबंधित विषय का परिवाद प्राप्त होने के पूर्व विषयांकित फर्जी दस्तावेज का अधिष्ठापन होने की सूचना ज्ञात हो पाती। आरोपी कर्मी श्री कुमार द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में अभिलेखों का समय–समय पर पर्यवेक्षण नहीं किया जाना उक्त नियम के उल्लंघन को परिलक्षित करता है। अतः श्री कुमार द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में अभिलेखों का समय–समय पर पर्यवेक्षण नहीं किया जाना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण उल्लंघन को परिलक्षित करता है।

5. उक्त आलोक में आरोपी कर्मी श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक–6655 दिनांक–21.11.2025 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी जिसके अनुपालन में

20.01.26

आरोपी कर्मी द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया जिसमें आरोपी कर्मी श्री कुमार द्वारा अंकित किया गया कि वे वर्ष–1991 से निबंधन कार्यालय में लिपिक संवर्गीय कार्य करते आ रहे है तथा उनके द्वारा दायित्यों का निर्बहन अच्छी तरह से किया गया है। उनके कार्यकाल में किसी भी कार्यालय में कोई आपराधिक/लापरवाही/उदासीनता इत्यादि के मामले दर्ज नहीं है। अभिलेखागार में दस्तावेज सं0–15821, दिनांक–20.12.1985 में फर्जीवाड़ा किस व्यक्ति विशेष द्वारा की गई यह जाँच का विषय है। उनके उपर कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का आरोप है जबकि अभिलेखागार में संधारित अभिलेख के साथ छेड़–छाड़ किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत की गई है, जिसकी जाँच प्रक्रियाधीन है। अभिलेखागार के कार्यो में कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्यो का निष्पादन किया जाता है। आरोपी कर्मी यदि अकेले अभिलेखागार का संपूर्ण कार्य करता तो ये दोषी होते। इन्होनें अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक की है और आम जनों को हमेशा समय पर सेवा प्रदान किये है अब सेवानिवृत भी हो गये है।

6. संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी श्री संजय कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रत्ति सेवानिवृत द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी ने जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि यद्यपि प्रश्नगत दस्तावेज संख्या–15821 दिनांक–20.12.1985 में प्रमाणित फर्जीवाड़ा अभिलेखागार में संरक्षित अभिलेखो में कब हुआ है, इस आशय की स्पष्ट तिथि ज्ञात नहीं हो पायी है। डिजिटाईजेशन के संबंध में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह माना जा सकता है कि उक्त फर्जी दस्तावेज का अधिष्ठापन माह सितम्बर 2022 से 2023 तक की अवधि में प्रश्नगत जिल्द का डिजिटाईजेशन के उपरांत किया गया है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त घटना श्री संजय कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल के द्वारा ही किया गया है। श्री कुमार के तत्कालीन अभिलखपाल के कार्य अवधि में किये जा रहे कार्यो के संबंध में पाये गये तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि श्री कुमार द्वारा अपने कार्य अवधि में अभिलेखो का पर्यवेक्षण दृढ़तापूर्वक नहीं किया जाता था, जिससे उन्हें ससमय संबंधित विषय का परिवाद प्राप्त होने के पूर्व विषयांकित फर्जी दस्तावेज का अधिष्ठापन होने की सूचना ज्ञात हो पाती। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 की नियम–3 में कार्यालय में कर्मियों के कार्य/व्यवहार के संबंध में वर्णित है कि कर्मी कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखे। श्री कुमार द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में अभिलेखों का समय–समय पर दृढ़तापूर्वक पर्यवेक्षण नहीं किया जाना उक्त नियम के उल्लंघन को परिलक्षित करता है। स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी द्वारा अपने सरकारी दायित्वों एव कर्त्तव्यों का समुचित रूप से पालन नहीं किया गया साथ ही अपने पदस्थापन काल में उनके द्वारा अभिलेखागार का समुचित रूप से पर्यवेक्षण नहीं किया गया। श्री कुमार का यह कृत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल पाया गया।

7. अत समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संजय कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रत्ति सेवानिवृत जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर के द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके द्वारा कर्त्तव्यपालन में बरती गयी लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के कारण बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम, 43 (बी0) के संगत प्रावधानों के तहत उनके पेंशन से 65% (पैसठ प्रतिशत) राशि की कटौती करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

8. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री संजय कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रत्ति सेवानिवृत जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर के द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके द्वारा कर्त्तव्यपालन में बरती गयी लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के कारण बिहार पेंशन नियमावली 1950

20.01.26

के नियम, 43 (बी0) के संगत प्रावधानों के तहत उनके पेंशन से 65% (पैसठ प्रतिशत) राशि की कटौती करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

9. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 8बी/आरोप-अरा0नि0-05/2024 - 452 /– पटना, दिनांक– 25.01.26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, भागलपुर/उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/जिला अवर निबंधक, भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकरी, प्रशाखा–06/आई0टी0 मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ श्री संजय कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/2026
सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

26.01.26